ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत थे।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति प्रेम लता	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूजा कुमारी	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	1.21

2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	25.14
3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.08
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	1.01
5	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	3.14
6	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	1.91
7	8.4	टी डी एस की कटोती न करने बारे	0.015
8	8.5	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	26.32
9	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	1.57
10	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	1.49
11	9.3	14 वां वित् से अनुचित/अनियमित भुगतान करने बारे	0.17

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-02-2024 से 27-02-2024 तक ग्राम पंचायत मसरूंड के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-22	02/2022	07/2021
2	2022-23	08/2022	05/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 (हि०प्र०) को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/2022-23/469 दिनांक-27-02-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मसरूंड से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मसरूंड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत मसरूंड के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न "**परिशिष्ट-1 व 2**" में भी दिया गया है।

1. स्व-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	418024	178018	596042	220309.42	375732.58
2022-23	375732.58	234307.22	610039.8	115768	494271.8

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	2843997	11744561	14588558	11281959.3	3306598.7
2022-23	3306598.7	11768042.9	15074641.6	12560471.62	2514169.98

कुल योग (1 + 2) = ₹494271.8+₹2514169.98= ₹3008441.78

(ब) ग्राम पचांयत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान का नाम	राशि 31-03-2023
1.	99380100001100	HPGB MASROOND	SF/SFC/YSS/SDP/ TSC/HRHM	1499200
2.	99380100001085	HPGB MASROOND	14TH FC	0
3.	50100358492450	HDFC CHAMBA	15TH FC	1228433
4.	99380100001058	HPGB MASROOND	IWMP-XIII	0
5.	99381100000459	HPGB MASROOND	WDF	93461
6.	99380100001465	HPGB MASROOND	VAN BANDU	42309
7.	99380100001094	HPGB MASROOND	VKVNY	19710
8.	99380100001049	HPGB MASROOND	MPLAD	3676.5
			cash in hand	0
			कुल योग	2886789.5

अन्तर (ब-अ) ₹3008441.78 -₹2886789.5 = ₹121652.28

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2023 को राशि ₹121652.28 का अन्तर **ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।** जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.21 लाख का अन्तर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मसरूंड द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹121652.28 का अन्तर **"परिशिष्ट -3"** अनुसार रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-464, दिनांक 26-02-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि; " भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹25.14 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट 1**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**2514169.98** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता से सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-464 दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसरूंड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियों का विवरण अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त कितना अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 464 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.08 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार भी होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मसरूंड के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया राशि बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹8060**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	2021-22	71010	614	40	24560	95570	72000	23570
2.	2022-23	23570	614	40	24560	48130	40070	8060

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 455 दिनांक 15-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹1625/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिंनाक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिंनाक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट - 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22,2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर में विवाह पंजीकरण शुल्क की और विलम्ब शुल्क की वसूली की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹1625/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-464 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई है तथा जिसे अंकेक्षण अवधि तक दिनांक 16.02.24 को रसीद संख्या 10 35 21 के तहत सभा निधि के खाता संख्या 99380100001100 में जमा कर दिया गया है।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित सरकारी खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में जमा विवाह शुल्क जोकि सभा निधि में है उसकी गणना करके उसे भी सम्बंधित खाते /कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत मसरूंड के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 464 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹3.14 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई निविदाओं में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनापति प्रमाण पत्र फॉर्म – M/X उपलब्ध न करवाने की दशा में अपेक्षित रॉयल्टी की कटौती हेतु कहा गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को राशि ₹314107.00 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/457 दिनांक 26-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.91 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने की दशा में निविदाएं स्वीकृत की गई थी, अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹4025827/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा आपूर्तिकर्ता रेत, बजरी एवं पत्थर में इत्यादि का धारक न होकर अन्य वस्तुओं व सेवाओं हेतु पंजीकृत था इसके अतिरिक्त सरकार को देय कर के साक्ष्य/चालान भी नही पाए गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹191958/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 457 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन

रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया गया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जाँच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 <u>ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.015 लाख की वित्तीय हानि बारे</u>

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर (TDS) व्यक्ति के दशा में 1% तथा फर्म के दशा में 2% आयकर के कटौती करेगा तथा के गई कटौती को सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**<u>प्राप्ति शीर्ष</u>**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दंडात्मक ब्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना/चयनित जांच के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणनुसार विभिन्न संविदाकारों/फर्मों को कुल राशि **157500/-** का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना है इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि **₹1575**/- की वित्तीय हानि सम्बंधित कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। इसके लिये संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलती की पुनरावृत्ति न हो।

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Amount to be deducted as TDS (1%)
1	55/14.12.22	15TH FC	Narinder thakur VPO Koti	Hiring Chargrs of JCB Work	48000	480
2	56/14.12.22	15TH FC	Narinder thakur VPO Koti	Hiring Chargrs of JCB Work	31500	315
3	38/25.07.22	15TH FC	Narinder thakur VPO Koti	Hiring Chargrs of JCB Work	49200	492
4	39/25.07.22	15TH FC	Narinder thakur VPO Koti	Hiring Chargrs of JCB Work	28800	288
				total	157500	1575

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/458 दिनांक 26-02-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नियमित तौर पर की जायेगी।

अतः पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹26.32 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 (Mnrega Opretional Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस० एम० एस० -8/2010-11-आरडीडी फण्ड दिनांक 18 जून 2011 के अंतर्गत मजदूरी घटक तथा गैर मजदूरी घटक से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध सुचना अनुसार मजदूरी के ऊपर कम अनुपात में व्यय किया गया था तथा सामग्री के उपर ज्यादा अनुपात में व्यय किया गया था जोकि मनरेगा नियमों की अवहेलना की जा रही थी तथा मनरेगा अधिनियम के मूल उद्देश्यों की भी अवहेलना थी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री जैसे (पत्थर) की तुड़ाई व् धुलाई मजदूरों से न करके आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी जिस कारण काम करने वाले मजदूरों को कम कार्य दिवस मिले तथा आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित व अनुचित था पंचायत द्वारा उपलब्ध सुचना अनुसार निम्नलिखित अनुपात में भुगतान किया गया था

	मनरेगा के अंतर्गत किया गया कुल व्यय राशि (लाख में)	मजदूरी राशि (लाख में)	सामग्री राशि (लाख में)	व्यय जो अनुपात में किया जाना था राशि (लाख में)		सामग्री हेतु किया गया अधिक / अनुचित भुगतान (40% से अधिक) राशि (लाख में)
				मजदूरी	सामग्री	
2021-22	73.36	42.09(58.48%)	30.46(41.52%)	44.01	29.34	1.44
2022 – 23	95.03	32.14(33.82%)	62.89(66.18%)	57.01	38.01	24.88
					TOTAL	26.32

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/ दिनांक 25-05-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।" दिया गया उत्तर तर्कसंगत नही है क्यूंकि उक्त मजदूरी व् सामग्री पर किया गया व्यय अनुपात में न होने के कारण मजदूरों को रोजगार के लिए कम कार्यदिवस मिले। अत: उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सामग्री पर किये गये अनियमित / अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त अनियमितता को विशेष रूप से उचाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.57 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹157530**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गंभीर अनियमितिता है।

Sr. No.	Name Of Vender/ Supplier	Grants/ Head	Voucher/ Date	Name Of Material	Amount Paid
1	39/22.03.22	Sf	Kalia Infotach Bill No. 681 Date :- 18.02.22	Computer Accessary	7970
2	41,42/22.3.22	Sf	Ajay Kumar Near Bus Stand Pukhri Bill No Nil	Stationary Purchase	7710
3	29/02.05.22	15th Fc	Gujrat Tiles & Sanitary Store Bill No 148	Floor Tiles	61950
4	15/16.03.22	14th Fc	Hari Om Computers Bill No Hoc/899/21-22	55" Led Uhd	79900
				Total	**157530**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-456 दिनांक 16-02-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत मसरूंड के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹1.49 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है,परिदान के समय, उसका

यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹**149560**/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

Sr. No.	Name Of Vender/ Supplier	Grants/ Head	Voucher/ Date	Name Of Material	Amount Paid
1	41,42/22.3.22	Sf	Ajay Kumar Near Bus Stand Pukhri Bill No Nil	Stationary Purchase	7710
2	29/02.05.22	15th Fc	Gujrat Tiles & Sanitary Store Bill No 148	Floor Tiles	61950
3	15/16.03.22	14th Fc	Hari Om Computers Bill No Hoc/899/21-22	55" Led Uhd	79900
				TOTAL	**149560**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/462 दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 14वाँ वित् आयोग से राशि ₹0.17 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14FC से निम्न विवरण अनुसार कंप्यूटर हेतु उपकरण / पार्ट्स क्रय किये गये थे किन्तु उक्त कंप्यूटर स्टॉक रजिस्टर अनुसार सही स्थिति में दर्शाया गया था इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया बिल पर हस्ताक्षर भी नही किये गये थे जिस कारण यह पता लगाया जाना मुश्किल था कि किया गया व्यय वास्तविक था अथवा नहीं जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	16/25.03.22	14TH FC	Hari om computers	HOC/036/22-23	02.04.22	Computer Accessory	17800

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/463 दिनांक 26-02-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्तयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

9.4 राशि ₹0.64 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत मसरूंड के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹64200**/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का

होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	**CB Page No /Date**	**Amount**	**Discription Of Item**	**Head**	**Name of Work**
9787	31	49800	LABOUR PAYMENT	SF	C/O KACHA RASTA KADOH TO LOWER KADOH
9790	16	14400	LABOUR PAYMENT	15th fc	C/O PANIHARA NIRMAAN NICHLA BANGATI
	Total	**64200**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461 दिनांक 26-02-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत मसरूंड के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.5 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर

पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 460 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मसरूंड के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-464, दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5th स्टेट, के साथ एक ही

बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 464 दिनांक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत मसरूंड द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-459, दिनाक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 **भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मसरूंड की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-464 दिनाक 26-02-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमितितायाओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विन्योजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

2303-2307 का0/50 05 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 146/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मसरूण्ड़, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का0/50

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4 (अ) 1 के सन्दर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o " GP MASROOND " Dev. Block CHAMBA Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	418024	178018	596042	220309.42	375732.58
2022-23	375732.58	234307.22	610039.8	115768	494271.8

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मसरूंड
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट- 2 पैरा संख्या 4(अ)2 के संदर्भ

Financial Position of Grant in Aid in r/o " GP MASROOND " Dev. Block Chamba Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	2843997	11744561	14588558	11281959.3	3306598.7
2022-23	3306598.7	11768042.9	15074641.6	12560471.62	2514169.98

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मसरूंड
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 4(क) के संदर्भ में
पैरा संख्या 5 व 6.1 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP MASROOND "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2021-22	
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	285295	252600	537895	315680	222215
2	14TH FC	898890	23375	922265	582670.8	339594.2
3	15TH FC	617348	919323	1536671	902.7	1535768.3
4	VAN BANDU KALYAN YOJNA	40274	1223	41497	0	41497
5	SBM	72451	1907	74358	15910.8	58447.2
6	VKVNY	44349	1344	45693	26470.8	19222.2
7	RAY	5135	155	5290	70.8	5219.2
8	IWMP-IV	7016	212	7228	0	7228
9	IWMP-XIII	395630	3420499	3816129	3249768	566361
10	WDF	0	33400	33400	0	33400
11	MPLAD	3609	108	3717	70.4	3646.6
12	TSC	254000	0	254000	0	254000
13	SDP	200000	0	200000	0	200000
14	NRHM	20000	0	20000	0	20000
15	MANREGA	0	7090415	7090415	7090415	0
	Total	2843997	11744561	14588558	11281959.3	3306598.7

Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP MASROOND "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2022-23	
1	5TH SFC	222215	376165	598380	370114	228266
2	14TH FC	339594.2	51781	391375.2	382259.62	9115.58
3	15TH FC	1535768.3	1260046	2795814.3	1566281	1229533.3
4	VAN BANDU KALYAN YOJNA	41497	875	42372	53.1	42318.9
5	SBM	58447.2	283698.9	342146.1	342146.1	0
6	VKVNY	19222.2	559	19781.2	70.8	19710.4
7	RAY	5219.2	157	5376.2	5376.2	0
8	IWMP-IV	7228	96	7324	7324	0
9	IWMP-XIII	566361	36656	603017	593345	9672
10	WDF	33400	67306	100706	0	100706
11	MPLAD	3646.6	101	3747.6	70.8	3676.8
12	TSC	254000	0	254000	0	254000
13	SDP	200000	303204	503204	156033	347171
	NRHM	20000	0	20000	0	20000
15	YSS	0	250000	250000	0	250000
16	MANREGA	0	9137398	9137398	9137398	0
	Total	3306598.7	11768042.9	15074641.6	12560471.62	2514169.98
	Balance as Per Bank on 31.03.23					
	A/c No	Branch	Head			
1	99380100001100,	HPGB MASROOND	SF/SFC/YSS/SDP/TSC/HRHM			1499200
2	99380100001085,	HPGB MASROOND	14TH FC			0
3	50100358492450,	HDFC CHAMBA	15TH FC			1228433
4	99380100001058,	HPGB MASROOND	IWMP-XIII			0
5	99381100000459,	HPGB MASROOND	WDF			93461
6	99380100001465,	HPGB MASROOND	VAN BANDU			42309
7	99380100001094,	HPGB MASROOND	VKVNY			19710
8	99380100001049,	HPGB MASROOND	MPLAD			3676.5
		Cash In Hand				0
	Total					2886789.5
1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)					494271.8
2	Cash Book Balance on 31.03.2023		5TH SFC			228266
3	Cash Book Balance on 31.03.2023		14TH FC			9115.58
4	Cash Book Balance on 31.03.2023		15TH FC			1229533.3
5	Cash Book Balance on 31.03.2023		VAN BANDU KALYAN YOJNA			42318.9
6	Cash Book Balance on 31.03.2023		SBM			0
7	Cash Book Balance on 31.03.2023		VKVNY			19710.4
8	Cash Book Balance on 31.03.2023		RAY			0
9	Cash Book Balance on 31.03.2023		IWMP-IV			0
10	Cash Book Balance on 31.03.2023		IWMP-XIII			9672
11	Cash Book Balance on 31.03.2023		WDF			100706
12	Cash Book Balance on 31.03.2023		MPLAD			3676.8
13	Cash Book Balance on 31.03.2023		TSC			254000
14	Cash Book Balance on 31.03.2023		NRHM			347171
15	Cash Book Balance on 31.03.2023		SDP			20000
16	Cash Book Balance on 31.03.2023		YSS			250000
17	Cash Book Balance on 31.03.2023		MANREGA			0
				Total		3008441.78
				Diffrence		121652.28

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मसरूंड
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट-4 पैरा संख्या न. 2 के संदर्भ

ग्राम पंचायत मसरूंड विकास खंड चम्बा

विषय :- शादी पंजीकरण की वसूली न करने बारे।

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	कम वसूल की गई राशी
1.	21	राज कुमार	9-04-2021	20-4-2021	25	0	25.00
2.	22	हरविन्द्र	5-04-2021	17-5-2021	200	0	200.00
3.	23	योग राज	10-03-2021	17-5-2021	50	0	50.00
4.	24	कुलदीप	26-04-2021	2-06-2021	50	0	50.00
5.	25	सन्नी	22-04-2021	02-6-2021	50	0	50.00
6.	37	सुनील	20-11-2021	9-12-2021	50	0	50.00
7.	40	पवन कुमार	20-11-2021	7-11-2021	400	0	400.00
8.	3	नवीन कुमार	8-02-2022	30-3-2022	400	0	400.00
9.	29	कुलदीप	30-4-2021	6-7-2021	400	0	400.00
						Total	1625.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मसरूंड
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट - 5 पैरा संख्या 8.2 व 8.3 को संदर्भित

GRAM PANCHAYAT MASROOND DEV. BLOCK CHAMBA HP

Statement showing Detail of Royalty not paid and GST Not Deposited

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	bill no/Date	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	Amount paid	GST Amount to be paid (excluding GST)	Excess paid
1	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.20	238/27.11.2020	Stone	26.0	58.2	60.0	3494.4	39618.0	37731.4	1886.6
2	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.20	244/11.112020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
3	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	219/25.10.2020	Sand	10.6	17.2	60.0	1032.3	21427.0	20406.7	1020.3
4	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.05.2020	211/16.10.2020	Stone	26.0	58.2	60.0	3494.4	39619.0	37732.4	1886.6
5	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.102020	218/24.102022	Aggrigate	21.2	32.3	60.0	1937.1	46426.0	44215.2	2210.8
6	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	248/12.11.2020	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	32785.0	31223.8	1561.2
7	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	3/30.10.2020	209/14.10.2020	Aggrigate	14.9	22.7	60.0	1360.7	30102.0	28668.6	1433.4
8	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	255/15.11.2020	Stone	26.0	58.2	60.0	3494.4	39619.0	37732.4	1886.6
9	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	208/12.10.2020	Aggrigate	19.7	31.9	60.0	1914.8	39748.0	37855.2	1892.8
10	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	242/10.11.2020	Sand	9.9	16.0	60.0	962.3	21637.0	20606.7	1030.3
11	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27/11/2020	236/06/11/2020	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	32787.0	31225.7	1561.3
12	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	237/06.11.2020	Aggrigate	20.0	30.4	60.0	1824.0	40354.0	38432.4	1921.6
13	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	245/11.11.2020	Sand	10.0	16.2	60.0	972.0	21858.0	20817.1	1040.9
14	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	246/11.11.2020	Aggrigate	11.0	16.7	60.0	1003.2	22195.0	21138.1	1056.9
15	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	239/7.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
16	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	240/7.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
17	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	243/10.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
18	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	254/14.11.2020	Stone	26.0	58.2	60.0	3494.4	39619.0	37732.4	1886.6
19	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	247/12.11.2020	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	32785.0	31223.8	1561.2
20	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	249/13.11.2020	Aggrigate	15.0	22.8	60.0	1368.0	30263.0	28821.9	1441.1
21	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	250/13.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	3360.0	38095.0	36281.0	1814.0
22	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	251/14.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	3360.0	38095.0	36281.0	1814.0
23	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	226/30.10.2020	Sand	12.5	20.3	60.0	1215.0	21574.0	20546.7	1027.3
24	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2022	228/31.10.2020	Stone	28.0	62.7	60.0	3763.2	41280.0	39314.3	1965.7
25	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	258/17.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	3360.0	38095.0	36281.0	1814.0
26	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	262/22.11.2020	Stone	21.0	47.0	60.0	2822.4	32000.0	30476.2	1523.8
27	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	221/26.10.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	42714.0	40680.0	2286.0
28	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	222/27.10.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
29	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	224/28.10.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
30	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	229/01.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
31	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	230/01.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
32	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	232/02.11.2020	Stone	30.0	67.2	60.0	4032.0	45714.0	43537.1	2176.9
33	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	201/02.10.2020	Stone	14.0	31.4	60.0	1881.6	16000.0	15238.1	761.9
34	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	05/30.10.2020	202/03.10.2020	Stone	26.0	58.2	60.0	3494.4	39619.0	37732.4	1886.6
35	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	05/30.10.2020	207/10.10.2020	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	32787.0	31225.7	1561.3
36	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	212/17.10.2020	Stone	26.2	42.4	60.0	2546.6	39924.0	38022.9	1901.1
37	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	213/19.10.2020	Sand	13.5	21.8	60.0	1310.3	29464.0	28061.0	1403.0
38	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	203/05.10.2020	Stone	13.0	21.0	60.0	1259.7	14811.0	14105.7	705.3
39	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	204/7.10.2020	Stone	29.9	48.4	60.0	2902.4	45530.0	43361.9	2168.1
40	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30/10/2020	210/15.10.2020	Sand	21.6	34.9	60.0	2096.6	47148.0	44902.9	2245.1
41	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	205/09.10.2020	Stone	26.0	42.1	60.0	2527.2	39619.0	37732.4	1886.6
42	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	206/10.10.2020	Stone	26.0	42.1	60.0	2527.2	39619.0	37732.4	1886.6
43	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	214/21.10.2020	Stone	26.0	42.1	60.0	2527.2	39619.0	37732.4	1886.6
44	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/30.10.2020	215/23.10.2020	Stone	25.7	41.6	60.0	2497.1	39146.0	37281.9	1864.1
45	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/30.10.2020	231/02.11.2020	Stone	25.0	40.5	60.0	2430.0	38095.0	36281.0	1814.0
46	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	233/03.11.2020	Stone	25.0	40.5	60.0	2430.0	38095.0	36281.0	1814.0
47	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	235/05.11.2020	Stone	24.0	38.9	60.0	2332.8	36570.0	34828.6	1741.4
48	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	6/27.11.2020	241/09.11.2020	Stone	20.0	32.4	60.0	1944.0	30476.0	29024.8	1451.2
	2022-23								0.0	0.0	0.0	0.0
1	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.12.2021	150/21.08.2021	Aggregate	15.0	22.8	60.0	1368.0	37830.0	36028.6	1801.4
2	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.12.2021	148/23.08.2021	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	35305.0	33623.8	1681.2
3	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.12.2021	005/18.09.2021	Sand	15.0	24.3	60.0	1458.0	35306.0	33624.8	1681.2
4	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.12.2021	006/18.09.2021	Aggrigate	15.0	22.8	60.0	1368.0	37831.0	36029.5	1801.5
5	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2021	048/02.01.2022	Stone	22.0	49.3	60.0	2956.8	33524.0	31927.6	1596.4
6	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/21.02.2022	157/25.11.2021	Stone	20.0	44.8	60.0	2688.0	30476.0	29024.8	1451.2

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]

7	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	5/21.02.2022	158/30.11.2021	Stone	18.5	41.4	60.0	**2486.4**	27427.0	26121.0	**1306.0**
8	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	79	159/12.12.2021	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	38095.0	36281.0	**1814.0**
9	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	64	160/16.12.2021	Sand	20.0	32.4	60.0	**1944.0**	47080.0	44838.1	**2241.9**
10	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	79/325	161/25.12.2021	Stone	38.1	85.3	60.0	**5120.0**	38095.0	36281.0	**1814.0**
11	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	163/02.02.2022	Stone	15.0	33.6	60.0	**2016.0**	13714.0	13061.0	**653.0**
12	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	166/04.02.2022	sand	14.0	22.7	60.0	**1360.8**	32955.0	31385.7	**1569.3**
13	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	5/21.02.2022	012/26.09.2021	Stone	31.0	69.4	60.0	**4166.4**	47237.0	44987.6	**2249.4**
14	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	5/21.02.2022	013/26.09.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
15	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/23.11.2021	003/17.09.2021	Stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	30476.0	29024.8	**1451.2**
16	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/23.11.2021	16/19.09.2021	stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	30476.0	29024.8	**1451.2**
17	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/23.11.2021	17/19.09.2021	Stone	23.0	51.5	60.0	**3091.2**	35047.0	33378.1	**1668.9**
18	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	07/10.03.2022	025/02.10.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
19	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	7/10.03.2022	028/05.10.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	21942.0	20897.1	**1044.9**
20	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/23.11.2021	10/21.08.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
21	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/23.11.2021	13/28.08.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
22	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	8/27.12.2021	155/05.11.2021	Stone	31.0	69.4	60.0	**4166.4**	47238.0	44988.6	**2249.4**
23	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	8/27.12.2021	156/15.11.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
24	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/19.03.2022	030/07.10.2021	Stone	21.0	47.0	60.0	**2822.4**	32000.0	30476.2	**1523.8**
25	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/19.03.2022	027/04.10.2021	Stone	21.0	47.0	60.0	**2822.4**	32000.0	30476.2	**1523.8**
26	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/19.03.2022	024/02.10.2021	Stone	21.0	47.0	60.0	**2822.4**	32000.0	30476.2	**1523.8**
27	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	162/01.02.2022	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
28	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	164/03.02.2022	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
29	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	165/03.02.2022	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
30	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	167/05.02.2022	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
31	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	7/10.03.2022	168/06.02.2022	Stone	15.0	33.6	60.0	**2016.0**	13714.0	13061.0	**653.0**
32	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	04/07.02.2021	136/16.04.2021	Aggrigate	2.7	4.0	60.0	**242.6**	5365.0	5109.5	**255.5**
33	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/07.10.2021	138/16.04.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
34	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	04/07.02.2021	140/17.04.2021	Sand	18.9	30.6	60.0	**1837.1**	41312.0	39344.8	**1967.2**
35	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	04/07.10.2021	141/18.04.2021	Stone	31.5	70.6	60.0	**4233.6**	31999.0	30475.2	**1523.8**
36	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	04/23.01.2021	14/19.08.2021	Stone	19.0	42.6	60.0	**2553.6**	25582.0	24363.8	**1218.2**
37	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/07.10.2021	05/24.05.2021	Stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	30476.0	29024.8	**1451.2**
38	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA	4/07.10.2021	06/06.06.2021	Stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	28952.0	27573.3	**1378.7**
39	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA		044/22.10.2021	Stone	13.7	30.7	60.0	**1841.3**	20876.0	19881.9	**994.1**
40	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA		043/21.10.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
41	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA		045/24.10.2021	Stone	27.0	60.5	60.0	**3628.8**	33523.0	31926.7	**1596.3**
42	DUNI CHAN DGOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	78	001/25.04.2021	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	38095.0	36281.0	**1814.0**
43	DUNI CHAN D GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	78	002/08.06.2021	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	37012.0	35249.5	**1762.5**
44	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	07/10.03.2022	26/03.10.2021	Stone	30.0	67.2	60.0	**4032.0**	45714.0	43537.1	**2176.9**
45	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	07/10.03.2022	029/06.10.2021	Stone	27.0	60.5	60.0	**3628.8**	41142.0	39182.9	**1959.1**
46	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA		01/20.04.2021	stone	22.2	49.6	60.0	**2977.0**	33523.0	31926.7	**1596.3**
47	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA		02/06.05.2021	stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	30476.0	29024.8	**1451.2**
48	Ramesh kumar GOVT Cont. PO Masroond	MNREGA		03/28.05.2021	Stone	20.0	44.8	60.0	**2688.0**	29135.0	27747.6	**1387.4**
49	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/14.12.2021	001/07.09.2021	Stone	28.0	62.7	60.0	**3763.2**	42666.0	40634.3	**2031.7**
50	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/14.12.2021	002/13.09.2021	Stone	28.0	62.7	60.0	**3763.2**	42666.0	40634.3	**2031.7**
51	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/14.12.2021	004/17.09.2021	Stone	28.0	62.7	60.0	**3763.2**	42666.0	40634.3	**2031.7**
52	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	8/27.12.2021	10	Stone	28.0	62.7	60.0	**3763.2**	42666.0	40634.3	**2031.7**
53	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	8/27.12.2021	011/25.09.2021	Stone	28.0	62.7	60.0	**3763.2**	42666.0	40634.3	**2031.7**
54	BHAGTO GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/7.11.2020	178/02.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	42856.0	40815.2	**2040.8**
55	BHAGTO GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/07.11.2020	179/02.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	42856.0	40815.2	**2040.8**
56	BHAGTO GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/07.11.2020	183/03.11.2020	Stone	10.0	22.4	60.0	**1344.0**	17142.0	16325.7	**816.3**
57	BHAGTO GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/07.11.2020	024/03.11.2020	Stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	42856.0	40815.2	**2040.8**
58	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.12.2020	416/03.11.2020	Stone	17.5	39.2	60.0	**2352.0**	28800.0	27428.6	**1371.4**
59	Suresh Kumar Govt cont. PO Kohal	MNREGA	4/14.02.2020	417/03.11.2020	Stone	17.5	39.2	60.0	**2352.0**	28800.0	27428.6	**1371.4**
60	BHAGTO GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	4/07.11.2020	025/05.11.2020	stone	25.0	56.0	60.0	**3360.0**	42856.0	40815.2	**2040.8**
61	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	7/10.03.2021	049/02.01.2022	Aggrigate	10.0	15.2	60.0	**912.0**	25219.0	24018.1	**1200.9**
62	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	MNREGA	7/10.03.2022	050/03.01.2022	Aggrigate	9.7	14.7	60.0	**884.6**	24457.0	23292.4	**1164.6**
63	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	4/26.05.2022	070/19.04.2022	Sand	1.5	10.6	60.0	**637.2**	3706.0	3529.5	**176.5**
64	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	04/26.05.2022	063/18.04.2022	Stone	7.0	15.7	60.0	**940.8**	11200.0	10666.7	**533.3**
65	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	4/26.05.2022	057/16.04.2022	Aggrigate	2.0	3.0	60.0	**182.4**	5296.0	5043.8	**252.2**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड चम्बा

66	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	4/26.05.2022	056/16.04.2022	Sand	4.0	10.6	60.0	**637.2**	9884.0	9413.3	**470.7**
67	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	4/26.05.2022	069/19.04.2022	Aggrigate	2.0	3.0	60.0	**182.4**	5296.0	5043.8	**252.2**
68	HEM SINGH GOVT CONT. PO MASROOND	15c	4/26.05.2022	068/19.04.2022	Sand	6.0	10.6	60.0	**637.2**	14826.0	14120.0	**706.0**
								Total	**314107.4**	**4025827.0**	**3834121.0**	**191958.0**

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. B. From Cubic Meter (M3) to Tonne

One Cubic Meter (M3) Sand	1.62
One Cubic Meter (M3) Aggregate	1.52
One Cubic Meter (M3) Stone	2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड चम्बा

27